04/117

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AA 469903

न्यास विलेख

शेखर सेवा संस्थान एजुकेशनल फाउण्डेशन एण्ड चैरिटेबुल ट्रस्ट

यह सार्वजनिक परमार्थिक न्यास विलेख आज दिनांक 13 अक्टूबर सन दो हजार सत्रह को श्री चन्दन राय पुत्र श्री चन्द्र शेखर राय निवासी ग्राम जमीन फरेन्दा पो० गौरीनरायनपुर परगना व तहसील सगडी जिला आजमगढ़ (जिन्हे आगे चलकर न्यास लेखक कहा गया है)

01- यह कि उपरोक्त श्री चन्दन राय ने रु० मु० 11,000-00 (रुपया गयारह हजार मात्र) नकद परमार्थिक न्यास के गठन हेतु न्यासियो को हस्तगत किया ।

02- यह कि न्यासियो ने न्यास लेखक के निवेदन पर इस विलेख के अधीन पक्षकार बनकर न्यासी के रुप मे कार्य करने की सहमति दी एवं न्यासीगण ने उपरिवर्णित राशि को न्यास के हेतु धनराशि के

Chandan Rai

जिला

उप निबन्धक कार्यालय 21/09/17

सदर, आजमगढ़

OCT 2017

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DU 141947

रुप मे स्वीकार्य किया। और जब कि इस विलेख के अधीन गठित किये जाने वाले सार्वजनिक परमार्थिक न्यास के उछदेश्यो और शर्तो की घोषण करना आवश्यक है।

03- अब यह विलेख निम्न प्रकार साक्षी देता है कि अपनी उक्त इच्छा की पूर्ति के लिए न्यासियो को रु० मु० 11,000-00 (रुपया गयारह हजार मात्र) की राशि प्रदान की गयी (जिसं इसके पश्चात न्यास निधि सम्बोधित्त किया जायेगा जिसमे नकदी अथवा अन्य सम्पत्ति अथवा सभी प्रकार के निवेश / विनिवेश शामिल माने जायेगे, जिनमे उक्त नकदी या उसके किसी भाग को समय समय पर रुपान्तरित किया जाता है, निवेशित किया जाता है या बदल दिया जाता है अथवा न्यासियो द्वारा प्राप्त किया जाता है अथवा इस विलेख के माध्यम से हो सकता है या इस विलेख के सम्बन्ध मे किसी कानून के लागू होने के कारण या अन्यथा उनके हाथ मे आता है को भी समाहित माना जायेगा) तथा न्यासियो को उक्त राशि न्यास हेतु धारण करनी होगी एवं अपने कब्जे मे रखनी होगी जो कि इसके पश्चात बताई गयी शक्तियों, प्रावधानो, कारनामों एवं घोषणाओं के अधीन होगी।

04- न्यास का नाम होगा शेखर सेवा संस्थान एजुकेशनल फाउण्डेशन एण्ड चैरिटेबुल ट्रस्ट तथा जिसका वर्तमान कार्यालय ग्राम जमीन फरेन्दा पो० गौरीनरायनपुर परगना व तहसील सगडी जिला आजमगढ़ मे स्थित होगा। जिसे समय समय पर न्यासियो द्वारा बहुमत से निर्णय लेकर अन्य स्थान / स्थानो मे स्थापित किया जा सकेगा।

Chandan Rai

कोषागार

10 OCT 2011

आजमगढ़

उप निबन्धक

सदर, आजमगढ़

कोषागार-आज

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DU 141944

(3)

05- शेखर सेवा संस्थान एजुकेशनल फाउण्डेशन एण्ड चैरिटेबुल ट्रस्ट के निम्नलिखित न्यासी होगे।

- श्री चन्द्रशेखर राय उम्र लग० 52 वर्ष पुत्र श्री राम सिंगार राय निवासी ग्राम जमीन फरेन्दा पो० गौरीनरायनपुर परगना व तहसील सगड़ी जिला आजमगढ़।
- श्रीमती चन्दा राय उम्र लग० 47 वर्ष पत्नी श्री चन्द्र शेखर राय निवासी ग्राम जमीन फरेन्दा पो० गौरीनरायनपुर परगना व तहसील सगड़ी जिला आजमगढ़।
- श्री महेन्द्र नाथ राय उम्र लग० 38 वर्ष पुत्र श्री राम सिंगार राय निवासी ग्राम जमीन फरेन्दा पो० गौरीनरायनपुर परगना व तहसील सगड़ी जिला आजमगढ़।
- श्रीमती बबिता राय उम्र लग० 30 वर्ष पत्नी श्री चन्दन राय निवासी ग्राम जमीन फरेन्दा पो० गौरीनरायनपुर परगना व तहसील सगड़ी जिला आजमगढ़।
- श्री चन्द्रेश राय उम्र लग० 25 वर्ष पुत्र श्री चन्द्र शेखर राय निवासी ग्राम जमीन फरेन्दा पो० गौरीनरायनपुर परगना व तहसील सगड़ी जिला आजमगढ़।

Chandan Rai

कोषागार कार्यालय
10 OCT 2017
आजमगढ़

सहा0 रोकड़िया
कोषागार—आजमगढ़

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DU 141945

(4)

06- यह कि श्री चन्दन राय पुत्र श्री चन्द्र शेखर राय शेखर सेवा संस्थान एजुकेशनल फाउण्डेशन एण्ड चैरिटेबुल ट्रस्ट के प्रबन्ध न्यासी होगे और न्यास के दैनिक क्रिया कलापो की देखरेख करेगे ।

07- यह कि प्रबन्ध न्यासी को न्यास के अन्य न्यासियो की नियुक्ति का एवं उनके कार्यो के बटवारे का अधिकार होगा।

08- यह कि प्रबन्ध न्यासी अपने जीवन काल मे अपने उत्तराधिकारी के नाम की घोषणा कर सकता है और यदि वह ऐसा करने मे किसी कारण से असफल रहता है तो श्रीमती बबिता राय पत्नी श्री चन्दन राय (वर्तमान ट्रस्टी) और उनके पश्चात श्री चन्दन राय का पुत्र प्रबन्ध न्यासी होगा और उसके पश्चात परिवार का पुरुष सदस्य प्रबन्ध न्यासी होगा । उपर्युक्त के अनुपालन मे यदि कोई अवयस्क प्रबन्ध न्यासी होता है तो उसके कार्यो की देखरेख उसके वयस्क होने तक उसके नैसर्गिक संरक्षक द्वारा की जायेगी । एक से अधिक अभिभावक की दशा न्यायालय द्वारा नामित व्यक्ति प्रबन्ध न्यासी कार्यो की देखरेख करेगा । एवं वयस्कता की वय प्राप्त करने के पश्चात वह स्वयं प्रबन्ध न्यासी के रुप मे कार्य भार ग्रहण करेगा।

09- यह कि न्यासीगण मात्र प्रबन्ध न्यासी के सहयोगी के रुप मे कार्य करेगे उन्हे न्यास के कार्य मे हस्तक्षेप का कोई अकिार नही होगा।

Chandan Rai

सदर, आजमगढ़

कोषागार कार्यालय

OCT 2017

आजमगढ़

सहा० कोषागार—आजमगढ़

भारतीय गैर न्यायिक
एक सौ रुपये Rs. 100
रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES
भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DU 141946

10- यह कि प्रबन्ध न्यासी को न्यास के कार्यो की देखरेख का सम्पूर्ण अधिकार होगा जैसे कि न्यास के खातो का संचालन करना, न्यास के उद्देश्यो की पूर्ति हेतु न्यास की चल/ अचल सम्पत्तियो को बन्धक रखकर किसी बैंक या वित्तीय संस्थान से ऋण प्राप्त करना।

11- यह कि न्यास के बही खातो का व्योरा न्यास के कार्यालय मे रखा जायेगा।

12- यह कि न्यास के खाते की धनराशि का उपयोग न्यास के उद्देश्यो के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन मे कदापि नही किया जायेगा।

13- न्यास के निम्न लिखित उद्देश्य होगे।

(i) कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत प्राइमरी स्तर से उच्च स्तर तक बालक/ बालिका विद्यालयो , महा विद्यालयो, आवासीय विद्यालयो, अनावासीय विद्यालयो, कानवेण्ट विद्यालयो, बाल श्रमिक विद्यालयो, आश्रम पद्यति विद्यालयो, संस्कृत विद्यालयो,, बौद्ध विद्यालयो, हरिजन विद्यालयो, अम्बेडकर विद्यालयो, उर्दू ; अरबी, फारसी, हिन्दी, तेलगू, बंगाली, मराठी, अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयो, विक्लांग विद्यालयो, तथा प्राइमरी स्तर से उच्च स्तर तक बालिका विद्यालयो, महा विद्यालयो, प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रो, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र से, आगनबाडी, बालबाडी, पुष्टाहार योजनाओ, प्रथमा से लेकर शिक्षा विशारद तक के विद्यालयो, व महाविद्यालयो,

Chandan Rai

उप निबन्धक कार्यालय
सदर, आजमगढ़

कोषागार कार्यालय
OCT 2017
आजमगढ़

कोषागार–आजम

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BN 431721

मध्यमा शिक्षा साहित्य रत्न वैद्य विशारद, आयुर्वेद रत्न एवं विधि विशारद विद्यालयो एवं महाविद्यालयो आदि की स्थापना एवं संचालन करना।

(ii) निःशुल्क पुस्तकालयो, वाचनालयो क्रीडास्थलो, छात्रावासो, अनाथालयो, वृद्धा आश्रमो, विधवा आश्रमो, नारी निकेतनो, बाल संरक्षण गृहो सामंदायिक उत्पादन केन्द्रो, संग्रहालयो, प्रयोगशालाओ आदि की स्थापना करना एवं संचालन करना।

(iii) गरीब हरिजन विकलांग, मेधावी, निराश्रित असहाय, मृतक आश्रित सेनानियो के बच्चा, बाल श्रमिको को निःशुल्क शिक्षा तथा पुस्तके प्रदान करना तथा उनके लिए छात्रवृत्ति एवं छात्रावासो की व्यवस्था करना।

(iv) बाल श्रमिको का चिन्हीकरण करना तथा उन्हे शिक्षित करने का प्रयास करना तथा बधुआ मजदूरो को मुक्त कराकर उन्हे शिक्षित, प्रशिक्षित कर स्वरोजगार मे स्थापित करने का प्रयास करना।

(v) विकलांगो को निःशुल्क कृत्रिम अंग, भोजन, आवास, शिक्षा, वस्त्रादि प्रदान करना तथा उनके लिए कृत्रिम अंगो का क्रय कर वितरण करना।

Chandan Rai

[illegible] निबन्धक [illegible]
सदर, [illegible]
[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु. 50

FIFTY RUPEES Rs. 50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BN 431722

(vi) कार्यक्षेत्र के अर्न्तगज सिलाई कढाई, कताई बुनाई, तकनीकी कुटीर शिल्प कला, हस्तशिल्प कला, काष्ठ कला, कम्यूटर टंकड, आशुलिपि, शार्ट हैण्ड, इलेक्ट्रिकल्स, एण्ड इलेक्ट्रनिक्स, पेंटिंग्स, जरी कढाई, चिकन कढ़ाई, कालीन बुनाई, दरी बुनाई संगीत, नाटय, बादय कला नृत्य आदि प्रशिक्षण केन्द्रो, चलचित्र निर्माण केन्द्रो की स्थापना एवं संचालन करना।

(vii) पर्यावरण संरक्षण हेतु कार्य करना तथा बन व बन्य प्राणियो की रक्षा की भावना लोगो के अन्दर पैदा करना तथा बृक्षारोपड करना।

(viii) मानव संसाधन विकास मंत्रालय, यूनिसेफ, सिडबी, अवार्ड, कर्पाट, नाबार्ड, नोराड, डूडा, सूडा, डवाकरा, डी०आर०डी०ए०, एस०जे०आर०वाई०, स्वजल धारा, सिप्सा, आदि योजनाओ को क्रियान्वित करना।

(ix) बालक बालिकाओ कलाकारो डाक्टरो के शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक तथा चारित्रिक विकास करना, तथा उनके लिए समय समय पर खेलो, सेमिनारो, गोष्ठियो, प्रदर्शिनियो

Chandan Rai

उप निबन्धक कार्यालय

सदर,

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH (8)

28AA 363497

आदि का आयोजन संचालन करना सफल बालक बालिकाओ, कलाकारो को पुरस्कृत करना, एवं मेडिकल कालेजो, हास्पिटलो व नर्सिंग होम की स्थापना एवं संचालन करना।

(x) भारत सरकार / प्रदेश सरकार, जिला, तहसील, ब्लाक, तथा न्याय पंचायत स्तर पर जनविकास मे चलाये जा रहे विशेष कर सामाजिक विकास के कार्यक्रमो को क्रियान्वित करना।

(xi) यज्ञशालाओ का निर्माण कराकर यज्ञ कराना, धार्मिक कार्यो का आयोजन करना, धार्मिक स्थलो का निर्माण कराना, देश विदेश से चन्दे की धनराशि मगाकर धार्मिक व सामाजिक कार्यो / कार्यक्रमो को क्रियान्वित करना।

(xii) वाटरशेड एसोसिएशन / जल प्रबंधन एवं मैनेजमेण्ट योजनाओ को क्रियान्वित करना तथा ग्रामीणांचलो मे शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का प्रयास करना।

(xiii) मातृ शिशु कल्याण योजनाओ को क्रियान्वित करना तथा लोगो कों परिवार नियोजन अपनाने हेतु उचित सलाह देना तथा जगह जगह निःशुल्क नसबन्दी शिविरो, टीक्काकरण

Chandan Rai

जिला … … …

उप निबन्धक कार्यालय

सदर, [illegible]

[illegible] सिद्धा० सं०–63)

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH (9)

28AA 363501

शिविरो, पल्स पोलियो शिविरो, दवाखानो, चैरिटेबल अस्पतालो, एडस, अपंगता, कुष्ठ, अन्धता निवारण केन्द्रो आदि की स्थापना एवं संचालन करना।

(xiv) विकलांगो, अभावग्रस्त बृद्धजनो के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओ का संचालन करना तथा महिलाओ कमजोर वर्ग के लोगो तथा गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोगो के विकास सम्बन्धी कार्य करना।

(xv) कृषि उत्पादन बढाने का प्रयास करना तथा कृषि से सम्बन्धित खाद व रासायनिक उर्वरको / दवाओ का उत्पादन एवं वितरण करना तथा किसानो को नवीन तकनीकि यन्त्रो, बीजो, खादो कीटनाशक दवाओ, उसर भूमि सुधार खादो के प्रयोग की विधि व मात्रा को बताना तथा उपलव्ध कराने का प्रयास करना ।

(xvi) समयानुसार बी०एड०, बी०पी०एड०, बी०टी०सी०, टी०जी०टी०, टी०ई०टी०, फार्मेसी कालेज, नर्सिंग कालेज, इंजीनियरिंग कालेज, मेडिकल कालेज, आई०टी०आई०, पालिटेक्निक कालेज एवं अन्य ब्यवसायिक कालेजो एवं पाठयक्रमो आदि की स्थापना एवं संचालन करना।

Chandan Rai

उप निबन्धक कार्यालय
सदर, आजमगढ़

यास पत्र

न्यास की राशि	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	पृष्ठों की संख्या
11,000.00	500.00	80	580.00	24

श्री चन्द्रन राय
पुत्र श्री चन्द्र शेखर राय
व्यवसाय कृषि
निवासी स्थायी सा0 जमीन फरेन्दा पर0 व तह0 सगडी जि0 आजमगढ
अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय दिनांक 13/10/2017 समय 3:47PM
बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर
कृपाशंकर
उप निबन्धक सगडी
सगडी
13/10/2017

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून
न्यासी

श्री चन्द्रन राय Chandanta
पुत्र श्री चन्द्र शेखर राय
पेशा कृषि
निवासी सा0 जमीन फरेन्दा पर0 व तह0 सगडी
जि0 आजमगढ

ने निष्पादन स्वीकार किया।
जिनकी पहचान प्रवीण राय प्रवीण राय
सुरेन्द्र प्रसाद राय
पेशा कृषि
निवासी सा0 जमीन फरेन्दा पर0 व तह0 सगडी जि0 आजमगढ
व अभिषेक कुमार राय
त्रिलोकीनाथ राय अभिषेक कुमार राय
पेशा कृषि
निवासी सा0 जमीन फरेन्दा पर0 व तह0 सगडी जि0 आजमगढ
ने की।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये है।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर
कृपाशंकर
उप निबन्धक सगडी
सगडी
13/10/2017

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH (10) 28AA 363502

(xvii) कृषि उपज का किसानो को सही व जायज मुल्य दिलाने हेतु राईस मिलो, तेल मिलो, दाल मिलो, वाटर प्युरीफायर संयन्त्रो आदि की स्थापना एवं संचालन करना।

(xviii) कृषि विकास मे सहयोगी पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन, भेड पालन आदि व्यवसाय करना एवं व्यवसायियो को इसके निमित्त निःशुल्क प्रशिक्षण देना।

(xix) गाँवो व शहरो का विकास करना तथा गावो व शहरो मे निशुल्क सफाई, शौचालयो, मूत्रालयो, जलजमाव व् जलनिकास की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास करना।

14- यह कि प्रबन्ध न्यासी द्वारा लिया गया निर्णय सभी न्यासियो पर बाध्यकारी होगा।

15- यह कि न्यास का प्रबन्धन व प्रशासन बोर्ड ऑफ ट्रस्टी मे निहित होगा।

16- यदि कोई सरप्लस धनराशि ट्रस्ट के पास आती है तो बोर्ड ऑफ ट्रस्टी और प्रबन्ध न्यासी की सहमति से उसका उपयोग बैंक जमा / सरकारी बन्धपत्र या अन्य उचित प्रतिभूति या जमीन व निर्मित भवन क्रय करने मे किया जा सकता है।

Chandan Rai

राय ... वा० ... जिल्द ...

उप निबन्धक कार्यालय

सदर, आजमगढ़

[illegible]

न्यासी

Registration No.: 64 Year: 2017 Book No.: 4

0101 चन्द्रशेखर राय

चन्द्र शेखर राय

सा0 जमीन फरेन्दा पर0 व तह0 सगडी जि0 आजमगढ

कृषि

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH (11) 28AA 363503

17- यदि प्रबन्ध न्यासी यह पाता है कि न्यास की सम्पत्ति का प्रबंधन उचित तरीके से नही किया जा सकता है या सम्पत्ति मे नुकसान होने की आशंका है तो प्रबन्ध न्यासी को यह अधिकार होगा कि वह सम्बन्धित सम्पत्ति को बेचकर उससे प्राप्त धनराशि को न्यास के कार्यो मे लगा देवे।

18- यदि प्रबन्ध न्यासी को न्यास की चल/ अचल सम्पत्तियो पर उसी तरह का अधिकार होगा जैसे कि उसकी व्यक्तिगत सम्पत्ति पर होता है।

19- यदि प्रबन्ध न्यासी/न्यासियो को मौद्रिक रुप मे या अन्य किसी भी रुप मे न्यास के उददेश्यो की पूर्ति हेतु डोनेशन प्राप्त करने का अधिकार होगा ।

20- यदि प्रबन्ध न्यासी को लगता है कि न्यास को भंग कर देना उचित है तो न्यास के नाम से सभी चल/ अचल सम्पत्ति का प्रयोग प्रवन्ध न्यासी व उसके वारिसो द्वारा किया जायेगा लेकिन साथ ही साथ न्यास की सम्पूर्ण देयताओ को भी चुकता करने की जिम्मेदारी प्रबन्ध न्यासी व उसके वारिसो की होगी।

Chandan Rai

जिला

उप निबन्धक कार्यालय
सगड़ी, आजमगढ़

Registration No.: 64 Year : 2017 Book No. : 4

W1 प्रवीण राय प्रवीण राय

सुरेन्द्र प्रसाद राय

सा0 जमीन फरेन्दा पर0 व तह0 सगडी जि0 आजमगढ

कृषि

W2 अभिषेक कुमार राय अभिषेक कुमार राय

त्रिलोकीनाथ राय

सा0 जमीन फरेन्दा पर0 व तह0 सगडी जि0 आजमगढ

कृषि

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु. 20

Rs. 20

TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH (12) 28AA 363504

नाम, पता व हस्ताक्षर जिनकी उपस्थिति मे यह दस्तावेज निस्पादित किया किया गया ।

श्री चन्दन राय
(न्यास लेखक)
मो० नं० - 9450823881
आधार सं० - 647320727986

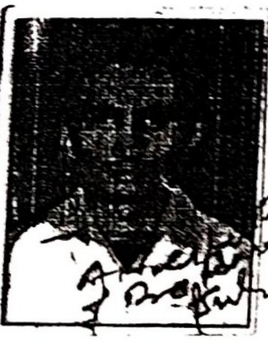

प्रवीण राय

गवाहान :

01. प्रवीण राय पुत्र श्री सुरेन्द्र प्रसाद राय
ग्राम जमीन फरेन्दा पो० गौरीनरायनपुर
परगना व तहसील सगडी जिला आजमगढ़ ।
मो० नं० - 7887037166
आधार सं० - 365692562179

02. अभिषेक कुमार राय पुत्र श्री त्रिलोकीनाथ राय
ग्राम जमीन फरेन्दा पो० गौरीनरायनपुर
परगना व तहसील सगडी जिला आजमगढ़ ।
मो० नं० - 8765619602
आधार सं० - 654616117005

अभिषेक कुमार र.

मजमूनकर्ता
सुनील कुमार सिंह एडवोकेट
दीवानी कचेहरी, आजमगढ़ ।

Sunil Kumar ADVOCATE Civil Court's, Azamgarh

Chandan Rai

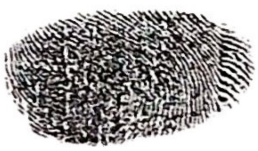

आज दिनांक **13/10/2017** को

बही सं. **4** जिल्द सं. **65**

पृष्ठ सं. **87** से **110** पर कमांक **64**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

कृपाशंकर

उप निबन्धक सगडी

सगडी

13/10/2017